(२०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1468-IV/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–02–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/1999–2000.

जसबंतसिंह आ0मदनसिंह राजपूत,
निवासी पीपल्या वीरम तहसील
नरसिंहगढ जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन

.....अनावेदक

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय के प्रकरण कमांक 10/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 20–02–2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 47 ने ग्राम पीपल्या वीरम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 270/1 में से रकबा 0.379 हेक्टर पर बागुड़ लगाकर तथा पेड़ लगाकर अतिक्रमण किया है । जॉच उपरांत नायब तहसीलदार वृत बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ ने आदेश दिनांक 12–8–1996 के द्वारा आवेदक पर

1500/– रुपये का अर्थदण्ड करते हुये विवादित भूमि से बेदखल किया । तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–96 से दुखित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 11/अ–68/1996–97 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 15–9–1999 से अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–1999 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 10/अपील/1999–2000 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 20–2–2002 द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2002 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पटवारी ने आवेदक की उपस्थित में अतिक्रमित भूमि को नापकर नहीं बताया है और वह भी विशेषकर उस स्थिति में जबकि शासकीय भूमि और आवेदक की भूमि आपस में मिली/लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि अतिक्रमण के प्रकरण को प्रमाणित करने का समस्त भार शासन का होता है किन्तु शासन द्वारा प्रकरण प्रमाणित पाये बिना ही आदेश पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पटवारी द्वारा किये गये तथाकथित सीमांकन व सीमांकन प्रतिवेदन फील्डबुक नक्शा आदि को भी प्रकरण में संलग्न नही किया है और न ही उसे प्रमाणित कराया है अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–2–2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण शासकीय

भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में था, जो हटाया जा चुका है । स्वयं आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अनजाने में कब्जा होना बताया है । तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। स्पष्ट है कि प्रकरण में कार्यवाही पहले ही पूर्ण हो चुकी है । इस निगरानी में ऐसा कोई बिन्दु शेष नहीं है, जिसका निराकरण किया जाना है । अतः यह निगरानी अर्थहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.